

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या -
अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय
और निर्दिष्ट सिफारिशें।

Recommended for
approval

(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप
वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों को सुस्पष्ट
समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी
जाय।)

तिथि 13.09.2017
स्थान Lucknow

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

डा० प्रशान्त कुमार वर्मा
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उ०प्र०, लखनऊ